राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 01 अक्तूबर, 2024 / 09 आश्विन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 सितम्बर, 2024

1. कृषि

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **कृषि** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01–04–2024** से

संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2/2018–पी–II, तारीख 24–04–2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20–06–2024** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01–04–2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01–04–2024** से **400 रुपए प्रतिदिन या 12,000 रूपए प्रतिमास** की दर से संशोधित करते हैंः–

टिप्पणी.––

1. समान और **समरूप प्रकृति** के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम,1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।

3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।

4. हिमाचल प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों में, मज़दूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढ़ौतरी/वृद्धि लागू होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगीः–

(i) **अकुशलः**––अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उप–जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है ।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/–
(प्रियंका बासु ईंगटी),
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

1. AGRICULTURE

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of "**Agriculture"** may be revised with effect from **01-04-2024;**

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024;**

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. **400** per day or Rs. **12,000** per month *w.e.f.* **01-04-2024.**

NOTE :—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)

3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:—

(i) **Unskilled:—**An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or